छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1234/2008

1. श्री जवाहर नागदेव, – *अपीलार्थी*
सी–3 आर0डी0ए0 बिल्डिंग,
शारदा चौक, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय उप पंजयीक,
सहकारिता विभाग, रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 30 अप्रैल, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी जवाहर नागदेव द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 29.07.2008 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय उप पंजीयक, सहकारिता विभाग, रायपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 19.09.2008 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर दिनांक 23.10.2008 के द्वारा 10 दिवस के अन्दर जानकारी देने का आदेश दिया गया था, किन्तु उसके बाद भी जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 22.11.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में अपीलार्थी ने अपने लिखित तर्क में यह बताया है कि जानबुझकर उनके द्वारा चाही गई जानकारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि राजीव गृह निर्माण सहकारी संस्था, जिसके बारे में जानकारी चाही गई, उसमें काफी भ्रष्टाचार है और सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा उस भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है और उस समिति के पदाधिकारियों पर गलत कार्यवाही के लिए किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है । प्रति अपीलार्थी द्वारा अपने तर्क में यह बताया कि समिति से जानकारी विलंब से प्राप्त हुई है तथा जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह उनके द्वारा दी गई है । इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि अपीलार्थी और समिति के पदाधिकारियों के बीच व्यक्तिगत विद्वेश और विवादों के फलस्वरूप आवेदन प्रस्तुत हुये हैं तथा इसके संबंध में पुलिस एवं न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं और इन दोनों के मध्य पूर्व में एक समझौता भी प्रस्तुत किया गया था तथा बाद में उस समझौंते के विपरीत अपीलार्थी पुनः

उन्हीं पूराने मामलों को खोद रहे हैं । अपीलार्थी ने अपने लिखित तर्क में आयोग का नरम रवैया और विभाग द्वारा किये जा रहे अन्याय का जिक्र भी किया है । उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी का तर्क सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उनके और समिति के मध्य उनके द्वारा पहले एक प्रकरण में समझौता आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और वे अपने व्यक्तिगत

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

स्वार्थों के कारण आयोग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों पर बिना किसी प्रमाण के आरोप लगा रहे हैं, जो उचित प्रतीत नहीं होता है । यदि उनके द्वारा समिति के पदाधिकारियों के बीच विवाद है तो उनका सक्षम न्यायालय में निराकरण किया जा सकता है । चूंकि प्रकरण में विलंब के पीछे कोई दुर्भावना नहीं है, अतः किसी प्रकार की शास्ति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अपीलार्थी ने प्रदर्श–5 की जानकारी और श्री साहू की जॉच रिपोर्ट अप्राप्त होना बताया है, उसके बारे में निर्देश दिये जाते हैं कि यह जानकारी अब एक सप्ताह में निःशुल्क प्रदान की जावे । साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि उन्हें सभी संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण करा दिया जावे । साथ ही पंजीयक, सहकारिता, छत्तीसगढ़ को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त समिति के संबंध में सहकारिता अधिनियमों के अन्तर्गत परीक्षण कर आवश्यक जॉच करा ली जावे और जो बिन्दु अपीलार्थी ने उठाये हैं, उनके संबंध में अपीलार्थी को सुनवाई का मौंका देते हुए उसके संबंध में किसी वरिष्ठ अधिकारी से जॉच कराकर जॉच प्रतिवेदन और उसकी अनुशंसा से अपीलार्थी को अवगत कराया जावे । प्रकरण में यदि कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गई हो तो वह भी अब उन्हें सही जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे । अपीलार्थी ने अपने लिखित तर्क में कुछ प्रश्न के रूप में जानकारी चाही है, जो सूचना की श्रेणी में नही आती है और उसी प्रकार कुछ अतिरिक्त जानकारी भी चाही है, उसके संबंध में पृथक से नया आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए । प्रकरण में अपूर्ण जानकारी एवं विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com